

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा,
लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चण्डीगढ़
हेल्पलाइन नं-0172-3503960 ई-मेल- agaeharyana@cag.gov.in

प्रेस नोट

ध्यानार्थ:- हरियाणा सरकार के कर्मचारियों एवं हरियाणा कैडर के एओआईओ एसओ अधिकारियों की वर्ष 2024-25 हेतु सामान्य भविष्य निधि की विवरणी ।

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों एवं हरियाणा कैडर के एओआईओ एसओ अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि का वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक विवरणी इस कार्यालय के वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/haryana/en> एवं एच०आर० एम०एस कर्मचारी पोर्टल <https://intrahry.gov.in> पर अपलोड कर दी गई है।

हरियाणा राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि अंशदाताओं से वर्ष 2024-25 हेतु अपने वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणी उपर्युक्त वेबसाइट से डाउनलोड करने का आग्रह किया जाता है । वे अपने (<https://cag.gov.in/ae/haryana/en> के मामले में) सिरिज कोड, सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एवं कर्मचारी पिन/पासवर्ड को प्रविष्ट करके अथवा (<https://intrahry.gov.in> के मामले में) मुख्य-मेन्यू पर व्यक्तिगत ब्योरे के अंतर्गत उप- मेन्यू प्रीवियस जी.पी.एफ का उपयोग कर यह डाउनलोड कर सकते हैं । Intra Haryana पर कर्मचारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का प्रयोग करके अथवा पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त, सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को स्टेट ऐप्लीकेशन में उपलब्ध कराए गए लिंक से स्टेट मॉड्यूल में वेतन के आहरण हेतु उपलब्ध कराए गए आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड का प्रयोग करके भी डी.डी.ओ द्वारा सामान्य भविष्य निधि विवरणी डाउनलोड की जा सकती है। किसी प्रकार की कठिनाई आने पर कृपया हेल्पलाइन नंबर 0172-3503960 पर संपर्क करें । इस वर्ष डिजीलोकर पर भी सामान्य भविष्य निधि की वार्षिक विवरणीयां वर्ष 2023-24 से डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है ।


(अरविंदर पाल सिंह साहनी)
उप महालेखाकार (पेंशन एवं निधि)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. वं ह.)हरियाणा,
चंडीगढ़ ।